सत्यमेव जयते

संख्या– 120 / जी0एस0(शिक्षा) / A15-54 / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू हॉप टाउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 26 मार्च, 2023

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1942, दिनांक 09 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है:–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
सीमा डेन्टल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, ग्रा0–वीरपुर खुर्द, पो0–पशुलोक, ऋषिकेश	बी0डी0एस0	100	2021–22
	एम0डी0एस0:–		
	1. Conservative Dentistry & Endodonitcs	05	
	2. Prosthodonitcs and Crown & bridge	05	
	3. Orthodonitcs & Dentofacial	05	
	4. Periddontology	03	
	5. Pedodonitcs & Preventive Dentistry	03	
	6. Oral & Medicine & Radiology	03	

(1) प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है तथापि विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि को पुनरीक्षित करने विषयक निर्णय लिया जाता है, तब तक संस्थान से पूर्व से नियत प्राभूति धनराशि जमा कराई जाय और साथ ही प्राभूति हेतु लिया जा रहा शपथ–पत्र भी प्राप्त किया जाय।

(2) वार्षिक ऑडिट / बैलेन्सशीट संलग्न नहीं है तथा छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण हेतु की गई व्यवस्था से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं है। इस कमियों को पूर्ण कराते

हुए साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(5) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

Signed by Ravinath Raman
Date: 26-03-2023 11:05:52

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

<u>संख्या– 120 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A15-54 /2023 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2 प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।
3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 27/03/2023 04:02 pm